निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 71/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

मांगूराम पुत्र गोविन्दराम जाति यादव निवासी कुण्डा की ढाणी, ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री युगान्तर शर्मा आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ।
2. बिरदा पुत्र गोविन्दा
3. रामू पुत्र गोविन्दा
4. प्रहलाद पुत्र भैरू

समस्त जाति यादव, निवासी कुण्डा की ढाणी, ग्राम सिरसी, तहसील व जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बावत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 12/2020 व उनवानी मांगू बनाम बिरदा व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बावत।

उपस्थितः–

1. श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 04.01.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष प्रकरण संख्या 12/2020 व उनवानी मांगू व अन्य बनाम बिरदा व अन्य विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 काफी प्रभावशील व राजनैतिक पहुंच वाले व्यक्ति है, जिनकी पहुंच राजनैतिक लोगों से होने के कारण आये दिन गांव के लोगों को कहते रहते है कि उक्त प्रकरण का फैसला हमारे पक्ष में करवा कर रहेंगे। अप्रार्थी संख्या 1 हमारे प्रभाव में है। दिनांक 25.08.2020 को तारीख पेशी नियत करने के पश्चात आदेशिका में कांट छांट कर दिनांक 07.09.2020 के स्थान पर 02.09.2020 मुकर्रर कर दी गई तथा दिनांक 02.09.2020 को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता को न्यायालय में एलानियां कहा कि आपको जो कुछ करना है करे, मै आगामी तारीख पर निर्णय करके रहूंगा तथा आदेशिका में जो हस्ताक्षर प्रकाश यादव के किये गये है वह भी गलत है। न्यायालय में दिनांक 02.09.2020 को पीठासीन अधिकारी का व्यवहार न्यायिक तौर पर ठीक नहीं रहा तथा ऐसे लग रहा था कि वो प्रार्थी के प्रकरण में

जिला कलक्टर
जयपुर

जल्दबाजी करते हुये प्रकरण का निस्तारण करने पर आमादा है तथा प्रार्थी को अन्देशा है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के प्रभाव में है तथा उक्त प्रकरण में न्याय निर्णय प्रार्थी के पक्ष में करने में असमर्थ है। कोविड–19 महामारी के कारण राज्य सरकार व बार एसोसियेशन के निर्देशानुसार भी प्रकरणों में सुनवाई स्थगित कर रखी है उसके उपरान्त भी पीठासीन अधिकारी विचाराधीन प्रकरण में विशेष रूची रखते हुंये प्रकरण में तारीख पेशियां नियत कर रहे है और प्रकरण के निस्तारण करने पर आमादा है। उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 ने बिना कोई न्यायिक विवेक लगाये अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 के पक्ष में फैसला करने पर आमादा है जिससे प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नही है। ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री विजय कुमार शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. यद्यपि उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। जयपुर मुख्यालय पर सहायक कलक्टर आमेर का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को मुन्तकिल किया जा सकता है। इससे पक्षकारान को असुविधा भी नही होगी। अप्रार्थी अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु सहमत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 12/2020 व उनवानी मांगू बनाम बिरदा व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर में मुन्तकिल किया जाता है।
6. पक्षकारान न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर में सुनवाई हेतु दिनांक 25.01.2021 को उपस्थित हो। सहायक कलक्टर आमेर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्त कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम व सहायक कलक्टर आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक **04.01.2021** को सरे इजलास सुनाया गया ।

4/1/21

(अक्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर